न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—109 / 2024

प्रार्थीः:—

चुन्नीलाल पुत्र मंगलाजी जाति राजपुरोहित निवासी लूदराडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. कमलादेवी पत्नी खंगारा जाति राजपुरोहित
3. स्वं. जेठूसिंह पुत्र नैनाराम के कायम मुकानः—
   3 / 1 गौतम पुत्र स्व. जेठुसिंह जाति राजपुरोहित
   3 / 2 दिपक पुत्र स्व. जेठुसिंह जाति रजापुरोहित
   3 / 3 विक्रम पुत्र स्व. जेठुसिंह जाति राजपुरोहित
4. नारायणसिंह पुत्र खंगारा जाति राजपुरोहित
5. फौजा पुत्र सोना जाति राजपुरोहित
6. भैरूसिंह पुत्र खंगारा जाति राजपुरोहित
7. भाकरसिंह पुत्र हेमाजी जाति राजपुरोहित
8. मदनसिंह पुत्र खंगारजी जाति राजपुरोहित
9. मांगीलाल पुत्र हेमाजी जाति राजपुरोहित
10. रेखादेवी पुत्री खंगारा जाति राजपुरोहित
11. लीलादेवी पत्नी विशनसिंह जाति राजपुरोहित
12. शंकर पुत्र पूनमजी जाति राजपुरोहित
13. शैतानसिंह पुत्र नैनाराम जाति राजपुरोहित
14. सुरेशकुमार पुत्र हरचंद जाति राजपुरोहित
15. सारदादेवी पुत्री खंगारा जाति राजपुरोहित
16. सांवलसिंह पुत्र नैनाराम जाति राजपुरोहित
17. सौरभदेवी पत्नी हरचंद जाति राजपुरोहित

निवासी लूदराडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–.
1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:: आदेश::

दिनांकः– 21.05.2026

प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 125 रकबा 0.0081 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु.बेरा व खसरा संख्या 593/417 रकबा 01.4568 ग्राम लूदराडा तहसील सिवाना में अवस्थित है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 125 से खसरा संख्या 593/417 तक विप्रार्थी संख्या 2 से 17 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 125 मे से 3 फीट नीचे से कृषि प्रयोजनार्थ प्रार्थना पत्र के संलगन नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी बरंग लाल अनुसार पाईप लाईन निकालने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 2 से 17 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी संख्या 2 से 17 के खसरा संख्या 125 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 120 (नवीन खसरा संख्या 183) किस्म गै.मु.बेरा से विप्रार्थी संख्या 2 से 17 की खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 125 (नवीन खसरा संख्या 191 व 192) के खसरा संख्या 191 से अपनी खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 593/417 (नवीन खसरा संख्या 196) कृषि प्रयोजनार्थ 3 फीट गहराई में पानी की पाईप लाईन बिछाना चाहता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि ही प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पाईप लाईन निकालने का इकलौता व निकटतम विकल्प है तथा प्रार्थी को प्रस्तावित भूमि की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अत्यांतिक आवश्यकता है अतः आवेदन पत्र के संलग्न नजरी नक्शे परिशिष्ट ''अ'' में अंकित बिन्दू संख्या A से B तक पाईपलाईन राजस्व रेकर्ड में इसी अनुरूप इन्द्राज करने के आदेश फरमाया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण को दिये जाने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में से 3 फीट की गहराई में होते हुए पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि ही निकटतम एवं इकलौता स्त्रोत है, तथा प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम लूदराडा तहसील सिवाना की प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 183 से खसरा संख्या 196 विप्रार्थी संख्या 2 से 17 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 191 मे से 3 फीट गहराई व 184 मीटर लम्बाई में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर पाईप लाईन निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि विप्रार्थी संख्या 2 से 17 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 2 से 17 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रार्थी को केवल पाइपलाईन उपयोग का सीमित अधिकार रहेगा, भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा, प्रार्थी पाइपलाइन डालने के तुरंत बाद विप्रार्थी के खेत की मिट्टी को समतल करेगा ताकि विप्रार्थी को कृषि कार्य में कोई असुविधा न हो। प्रार्थी जमीन की ऊपरी सतह पर कोई स्थायी निर्माण या दखल नहीं करेगा।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक– राजस्व/2026/633 दिनांक 13.05.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 21.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

N

S

ग्राम - लूडराडा

खण्ड - महिलावास

तहसील - सिवाना

नजरी नक्शा